ईकबाल बनाम राजस्थान सरकार
2025 / 04
निर्णय दिनांकः–14.10.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2025 / 04 दर्ज तिथिः–26.09.
2025

1. इकबाल पुत्र स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज)
2. अस्त अली पुत्र स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज)
3. शुकुरा बानो पुत्री स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज)
4. नसीरूद्दीन पुत्र स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज)
5. रजीया बानो पुत्री स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज)
6. लाल खां पुत्र स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज)
7. मदीना पुत्री स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज)
8. आरिफ खां पुत्र स्व. शीलाँ पुत्री स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी वार्ड सं. 14, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)
9. याकुब पुत्र स्व. शीला पुत्री स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी वार्ड सं. 14, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)
10. अफसाना बानो पुत्री पुत्र स्व. शीला पुत्री स्व.अलादीन खान जाति कायमखानी निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.) हाल निवासी वार्ड सं. 14, भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

................अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत श्योपुरा, तहसील व जिला चूरू (राज) जरिये ग्राम विकास अधिकारी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चूरू व जिला चूरू (राज)

..................रेस्पोडेन्टान

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

...स्थित अधिवक्ता
...श्री सुरेन्द्र राहड़
...न्द्र पूनिया

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75 राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–14.10.2025

1. यह कि आदेश जेर अपील दिनांक 16.07.2025 जिसके द्वारा विरासतन नामान्तरकरण निरस्त किया गया है। यह आदेश खिलाफ कानून विपरित तथ्यों एवं कानून के पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 444 तादादी 8.2455 है. कुल किता 01 कुल तादादी 8.2455 है. वाके रोही ग्राम ढाणी लालसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसके वर्तमान खाता सं. 33 व पुराने खाता सं. 34 है, जिसमें अलादीन पुत्र मामदीन जाति कायमखानी निवासी रतननगर की 1/9 हिस्सा खातेदारी में स्थित चली आ रही थी, जिनका इंतकाल दिनांक 26.03.1997 को हो चुका है। जिनका विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने हेतु दिनांक 06.07.2025 को ऑनलाईन आवेदन किया गया। जिसका आवेदन क्रमांक 628 था। यह कि अपीलांटान द्वारा तहसीलदार महोदय चूरू को एक प्रार्थना पत्र वास्ते अलादीन पुत्र मामदीन का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने बाबत दिया गया था, जो प्रार्थना पत्र तहसीलदार चूरू द्वारा अपनी रिपोर्ट कर संबंधित हल्का पटवारी को जांच हेतु भिजवाया गया, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा अपनी जांच कर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ऑनलाईन ग्राम पंचायत की आई.डी. पर स्वीकृति हेतु भिजवा दिया गया। जिसमें समस्त मृत्यु प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा, व दस्तावेजात संलग्न कर दिये गये, हल्का पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट सही पाये जाने पर आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत की आई.डी. पर भिजवा दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अपनी साधारण सभा की बैठक में उपखण्ड अधिकारी चूरू के स्थगन का हवाला देकर उक्त नामान्तरण निरस्त कर दिया गया, जबकि ऐसा करने का कतई अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। यह कि नामान्तरकरण क्रमांक 628 में हल्का पटवारी ने दिनांक 14.07.2025 को अपनी रिपोर्ट में यह अंकित करते हुए कि "श्रीमानजी मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसन के अनुसार नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं ओदशार्थ प्रस्तुत है।" दर्ज की आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत श्योपुरा को प्रेषित कर दिया। उसके पश्चात उक्त नामान्तरकरण रूप से नामान्तरकरण क्रमांक 628 दिनांक 16.07.2025 को निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण निरस्त करने का काई विधिक कारण अंकित नहीं किया गया है, केवल मात्र नामान्तरकरण निरस्त किया गया है, जो करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि " ग्राम पंचायत कि बैठक में पढकर सुनाया गया पटवारी द्वारा एस.डी.एम. कोर्ट से स्थगन आदेश जारी होने की रिपोर्ट की गई है, जिस बाबत पटवारी द्वारा चूरू तहसीलदार से मार्गदर्शन चाहा गया था। परन्तु तहसीलदार द्वारा काई मार्गदर्शन नहीं दिया गया, उक्त नामान्तकरण को उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया, जिस पर उपस्थित सदस्यों ने [illegible] होने के कारण नामान्तरकरण खारिज किये जाने निर्णय लिया [illegible] खारिज किया गया।" जो अपास्त करने का ग्राम पंचायत [illegible] का हवाला देकर उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया गया है, जो स्थगन आदेश उपखण्ड अधिकारी चूरू के न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

द्वारा दिनांक 01.08.2025 को खारिज किया जा चुका है। इसकी प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। यह कि उक्त कृषि भूमियों का राजस्व अभिलेख राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार (भू.अ.), चूरू के कब्जे व नियंत्रण में रहता है। तहसलीदार द्वारा भू राजस्व रिकार्ड के सन्धारण का कार्य किया जाता है, इसलिये आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चूरू का बतौर रेस्पोडेन्ट संयोजित किया गया है। यह कि आदेश जैर अपील दिनांक 16.07.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा पारित किया गया है, इसलिए इस अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का है। इसलिए अपील उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत कि जा रही है। यह कि अन्य कानूनी तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि यह अपील स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का आदेश दिनांक 16.07.2025 को अपास्त किया जावे तथा रेस्पोडेन्टान को आदेशित किया जावे कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 444 तादादी 8.2455 है. कुल किता 1 कुल तादादी 8.2455 वाके रोही ग्राम ढाणी लालसिंहपुरा तहसील व जिला चूरू का नामान्तरकरण संलग्न दस्तावेजात व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरण दर्ज किये जाने का ओदश प्रदान करने कि कृपा करें। अति कृपा होगी।

2. अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र पुनियां ने वकालतनामा पेश किया गया तथा रेस्पोडेण्ट्स की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार पटवारी द्वारा एस.डी.एम. कोर्ट का स्थगन आदेश जारी होने की रिपोर्ट की गई जिस बाबत पटवारी द्वारा चूरू तहसीलदार से मार्गदर्शन चाहा गया था परंतु तहसीलदार द्वारा कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया। उक्त नामान्तरण उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया जिस पर उपस्थित सदस्यों ने भूमि विवादित होने के कारण नामान्तरण खारिज किये जाने का निर्णय लिया अतः सर्व सम्मति से निर्णय खारिज किया जाता है। वारिसों के वारिसों पर किसी तरह की आपति पंचायत द्वारा नहीं की गई है।

1. ''विवेचना''

अपीलार्थियों द्वारा यह अपील इस आधार पर दायर की गई कि ग्राम पंचायत श्योपुरा द्वारा नामान्तरण क्रमांक 628 दिनांक 16.07.2025 को बिना किसी विधिक कारण के केवल ''भूमि विवादित होने'' का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया, जबकि ऐसा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था।

अभिलेख से यह स्पष्ट है कि

खसरा नं. 444, रकबा 8.2455 हे. भूमि स्व. ''अलादीन पुत्र मामदीन'' के नाम खातेदारी में दर्ज थी।

मृत्यु उपरान्त अपीलार्थियों द्वारा विरासत में नामान्तरण हेतु आवेदन क्रमांक 628 दिनांक 06.07.2025 प्रस्तुत किया गया।

हल्का पटवारी द्वारा जांच कर मृत्यु प्रमाण पत्र, कुर्सीनामा एवं अन्य दस्तावेज संलग्न करते हुए नामान्तरण हेतु उचित अनुशंसा की गई थी।

किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उपखण्ड अधिकारी चूरू के स[illegible] का हवाला देते हुए नामान्तरण निरस्त कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested

2. "कानूनी स्थिति"

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान भूमि अभिलेख (नामान्तरण) नियमों के अनुसार "ग्राम पंचायत को नामान्तरण निरस्त करने का अधिकार नहीं है"। नामान्तरण संबंधी आदेश पारित करने या संशोधन करने का अधिकार "तहसीलदार (भू–अभिलेख)" को निहित है।

3. "अवलोकन"

ग्राम पंचायत ने न तो किसी वारिस पर आपत्ति जताई और न ही किसी दस्तावेज की सत्यता पर प्रश्न उठाया। केवल "भूमि विवादित" होने का उल्लेख पर्याप्त कारण नहीं है। अतः ग्राम पंचायत का आदेश विधि–विरुद्ध है।

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतरकरण संख्या 628 दिनांक 06.07.2025 पर ग्राम पंचायत श्योपुरा की दिनांक–16.07.2025 की कार्यवाही विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध खारिज किये जाने के कारण नामान्तरण के उक्त निर्णय को खारिज कर अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण संख्या 628 दिनांक 06.07.2025 पर ग्राम पंचायत श्योपुरा की दिनांक–16.07.2025 की कार्यवाही को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चूरू इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान की सुनवाई कर विधि संगत कार्यवाही करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुमील कुमार–1)
उपखण्ड अधिकारी
(चूरू)चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:09 IST
Reason: SelfAttested